International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709, Print ISSN: 2664-8695
Received: 20-05-2022, Accepted: 04-06-2022, Published: 21-06-2022
Volume 4, Issue 1, 2022, Page No. 30-32

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाएंः लाभ एवं चुनौतियाँ

अजय कुमार निराला
समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र विभाग, अनुग्रह नारायण सिंह सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना, बिहार, भारत

सारांश
ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत पिछड़ें और कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार को संदर्भित करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को गांवों में उत्पादक श्रम शक्ति की मांग पैदा करने के माध्यम से ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के रूप में देखा जाता है। यह अधिनियम आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है जो प्रवास को कम करने, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने, गरीबी को कम करने और गांवों को उत्पादक संपत्ति निर्माण जैसे सड़क निर्माण, मछली पालन से जुड़े कार्य,स्कूल शौचालय निर्माण, मिट्टी और संरक्षण कार्य आदि कार्य के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर प्रभाव डालता है। जिसके लिए इसे भारत में सबसे बड़ा गरीबी विरोधी कार्यक्रम माना गया है। यह पत्र–लेख द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। विभिन्न द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण जीवन और आजीविका के पुनर्निर्माण के विकास प्रयासों को व्यापक रूप से समझने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्दः ग्रामीण विकास, विकास परियोजना, रोजगार गारंटी अधिनियम और आत्मनिर्भर

प्रस्तावना
भारत में 121 करोड़ की कुल जनसंख्या में से 83.3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं (भारत की जनगणना, 2011)। इस प्रकार, भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इन ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गरीबी, साक्षरता और आय के निम्न स्तर, उच्च स्तर की बेरोजगारी, और खराब पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति की विशेषता हो सकती है। इन विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए, इन ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।
ग्रामीण विकास शब्द ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ग्रामीण लोगों, विशेष कर गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में स्थायी सुधार होता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देष्य गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति में सुधार करना और ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के लिए भोजन, आश्रय और कपड़े जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। ग्रामीण लोगों की स्थिति में सुधार के लिए, भारत सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस0जी0आर0वाई), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आइ0टी0डी0पी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई), आदि। इन सभी योजनाओं का उद्देष्य ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच की खाई को कम करना है, जिससे असंतुलन को कम करने में और विकास प्रक्रिया को गति देने में मदद मिलेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियमः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत सरकार ग्रामीण लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का उत्थान करना चाहती थी जो मुख्य रूप से वन उत्पादों और दैनिक श्रम पर निर्भर थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, किसी भी ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुषल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। यह अधिनियम शुरू में 200 जिलों में फरवरी 2006 से लागू हुआ और बाद में वित्तीय वर्ष 2008–09 से इसे भारत के सभी जिलों मे लागू कर दिया गया।
मनरेगा अन्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लगभग 56 वर्षों के अनुभव के बाद आया है, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई दोनों योजनाएं शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन0 आर0 ई0 पी)1980–89, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर0एल0इ0जी0पी) 1983–89, जवाहर रोजगार योजना (जी0 आ0र एस) 1989–90, रोजगार आष्वासन योजना(ई0ए0एस)1993–99, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे0 जी0 एस0 वाई) 1999–2002, संपर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस0जी0आर0वाई) 2001, काम के बदले राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम (एन0 एफ0 एफ0 डब्ल्यू0 पी) 2004। इन कार्यक्रमों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम को 2005 में नरेगा में मिला दिया गया है।
इस अधिनियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया तथा 2007–2008 में 130 जिलों को जोड़ा गया था। देश भर में 625 जिलों में फैले होने के साथ, मनेरगा कार्यक्रम में ग्रामीण गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाने, संकट प्रवास को कम करने और ग्रामीण भारत में उपयोगी संपत्ति बनाने की क्षमता है। साथ ही, यह सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि इस योजना के तहत 23 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति, 17 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 50

प्रतिषत महिलाएं हैं। 2010–11 में, 41 मिलियन घरों को नरेगा कार्यस्थालों पर नियोजित किया गया था। यह अधिनियम ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाने के उद्देष्य से पेश किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध या अकुशल काम, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हो या नहीं (en.wikipedia.org/.../ Mahatma_Gandhi_National_Rural_Employment).

वर्तमान अध्ययन

वर्तमान अध्ययन में, अन्वेषक ने द्वितीयक आंकड़ों की सहायता से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की विस्तार से जांच की। आंकड़े अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 के बीच अनुग्रह नारायण सिंह पुस्तकालय, दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और इंटरनेट से एकत्र किया गया था। प्रत्यक्ष क्षेत्र कार्य के आधार पर दो केस स्टडी का भी हवाला दिया गया है। वर्तमान अध्ययन का उद्देष्य निम्नलिखित उद्देष्यों के साथ समग्र परिदृष्य अर्थात योजना से जुडे पेशेवरों और विपक्षों का आकलन करना हैः

1. मनरेगा के विकास के साथ–साथ ग्रामीण लोगों के जीवन पर विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के समग्र सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का आकलन करना।
2. ग्रामीण गरीबों के जीवन में मनरेगा द्वारा लाए गए सुधार या परिवर्तन का आकलन करना।

साहित्य समीक्षा

अंबास्त एवं अन्य (2008) ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं। इनमें सभी स्तरों पर विशेष रूप से ब्लॉक स्तर पर मनरेगा के लिए समर्पित पूर्णकालिक पेशेवरों की तैनाती शामिल थी। क्षता निर्माण, सरकारी और गैर–सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों की शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर पूरी तरह से प्रशिक्षित जमीनी कार्यकर्ताओं का एक विशाल संवर्ग बनाने के लिए गहन प्रयासों की आवष्यकता है।

द्रेज (2007) उड़ीसा (भारत) में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार को देखता है और यह कैसे नरेगा में भी जारी है।

माथुर (2007) के अनुसार, व्यक्तियों और समूहों की पहल पर निर्भर यादृच्छिक रिपोर्टों और अध्ययनों के विपरित, आधिकारिक सूचनाओं के नियमित और निरंतर प्रवाह की एक प्रणाली आवष्यक है। कार्यान्वयन में सुधार के लिए, सरकार को समस्याओं को हल करने, नीति निर्देशों को संशोधित करने और जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता है। सरकार को नेतृत्व करना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, संस्थानों और समूहों को संगठित करना चाहिए और मीडिया का प्रभाव ढंग से उपयोग करना चाहिए। नरेगा में कई लाख सरकारी अधिकारी, पंचायत पदाधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन और सामुदायिक समूह शामिल हैं। वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन चुनौती के लिए बहुत कम तैयारी करते थे। नरेगा वास्तव में राष्ट्रीय महत्व का एक कार्यक्रम है जिसे हाशिए पर डाल दिया गया है। जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र में नोडल मंत्रालय है, प्रत्येक संबंधित विभाग और एजेंसी को शामिल होने की आवश्यकता है।

खेड़ा (2008) का मानना है कि उड़ीसा (भारत) राज्य मे पाटी ब्लॉक में मनरेगा का सफल कार्यान्वयन इसके निवासियों की अपने अधिकारो का दावा करने की क्षमता से परे है। यह योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के मामले में कार्यक्रम के साथ उच्च स्तर के जुड़ाव द्वारा लागा गया है।

माथुर (2009) कहते हे कि आंध्र प्रदेश (भारत) में किए गए सामाजिक अंकेक्षण में यह पाया गया कि कुछ गांवों में, कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें किए गए काम के लिए भुगतान नहीं किया गया था। जब जॉब कार्ड के भुगतान के साथ पासबुक के अनुसार भुगतान की तुलना की गई, तो यह पता चला कि जॉब कार्ड में आंतरिक पृष्ठ नहीं थे जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को रिकॉर्ड करते हैं, जॉब कार्ड अपने आप में अधूरा था।

मनरेगा को बेहद गरीबों के लिए एक समर्थन प्रणाली होने की जरूरत है और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सक्षम, प्रोत्साहित और सशक्त बनाना चाहिए। अपने वर्तमान स्वरूप में, मनरेगा एक और सब्सिडी कार्यक्रम बन सकता है जो राष्ट्र पर बोझ बनने का जोखिम उठाता है (द इकोनॉमिक टाइम्स, 2009)।

ग्रामीण विकास समय की मांग है। यह ने केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का गठन करता है बल्कि सामूहिक प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की भलाई और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि यह कार्यक्रम ग्रामीण परिवेश में लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए है, लेकिन यह कार्यक्रम कई कमियों से ग्रस्त है। इस प्रकार, साहित्य की विस्तृत समीक्षा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि ग्रामीण भारतीयों पर मनेरगा कार्यक्रम के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए व्यापक शोध कार्य की आवष्यकता है।

क्षेत्र से अवलोकन

निम्नलिखित केस स्टडीज को राजस्थान, भारत में जयपुर जिले के मच्छर खानी गांव और भोपाल, मध्य प्रदेष भारत में जिले के बाबचिया गांव में किए गए प्रत्यक्ष क्षेत्र के काम के आधार पर उद्धृत किया गया है।

केस 1: नामः साइमा बेगम उम्रः 43 वह जयपूर जिले के माछर खानी गांव में रहती है। वह विधवा है और उसका एक बेटा है जो बारहवीं कक्षा में पढ़ता है। वह कहती हैं कि कृषि कार्य साल में लगभग 6 महीने ही मिलता है और वह भी लगातार नहीं। धान की कटाई जैसे कुछ काम जोड़े (पति और पत्नी एक साथ) करते हैं और विधवा होने के कारण वह इस तरह के काम पर नहीं जा पाती हैं। हालांकि वह नरेगा के तहत काम करने में सक्षम है। उसने 2007–08 में 30 दिनों के लिए काम किया है और अपने बेटे की शिक्षा का समर्थन करने के लिए अर्जित आय का उपयोग किया है। वह खुश है कि हर हफ्ते नरेगा मजदूरी का भुगतान किया जाता है और वह अपने बेटे के लिए एक कार्ड प्राप्त करना चाहती है ताकि वह भी काम कर सके।

केस 2: नाम : नेहा कुमारी उम्रः 37 वह भोपाल में जिले के बाबचिया गांव में रहती है। उसके पास बीपीएल कार्ड है और उसका परिवार कच्चे मकान में रहता था। हाल ही में उसने और उसके पति ने अपने ने लिए एक ईंट का घर बनाया। उन्हें गांव में एक सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से नरेगा के प्रावधानों के बारे में पता चला। उन्होंने नरेगा के तहत काम

करने का फैसला किया। पिछले साल उसने और उसके पति ने नरेगा के तहत 100 दिनों तक काम किया और 60 रूपये प्रति दिन की दर से अच्छी कमाई की। चूंकि उनके पास जमीन की थोड़ी सी मात्रा उनकी बुनियादी खाद्य आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अंत में, उन्होंने नरेगा द्वारा अर्जित धन को अपने लिए एक पक्का घर बनाने के लिए खर्च करने का फैसला किया। इस प्रकार, उद्धृत मामलों से यह स्पष्ट है कि भारत में मनरेगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम है क्योंकि यह ग्रामीण गरीबों को उनकी आजीविका कमाने में मदद करता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकता है।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को भारतीय गांवों में उत्पादक श्रम शक्ति की मांग पैदा करने के माध्यम से ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए एक वरदान के रूप में माना जाता है। यह आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है जो प्रवास को कम करने, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने, गरीबी को कम करने और गांवों को उत्पादक संपत्ति निर्माण जैसे सड़क निर्माण, पानी की टंकियों की सफाई, मिट्टी और जल संरक्षण कार्य के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर प्रभाव डालेगा। आदि जिसके लिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा गरीबी विरोधी कार्यक्रम माना गया है। चुंकि यह योजना एक अपरिभाषित अवधि के लिए लागू होने जा रही है, और इसका दायरा और भौगोलिक कवरेज के संदर्भ में विस्तार किया जा रहा है, इसकी प्रभावशीलता में गैर–एकरूपता, क्षेत्र विषिष्ट असमानताओं और परिणामों आदि जैसी कई चुनौतियां है। यह ठीक इसी कारण से है, कुछ एनजीओ पहले ही कुछ सर्वेक्षण कर चुके हैं। हालांकि वे बहुत हद तक एक या दो जिलों तक ही सीमित हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभार्थियों पर उनके कार्यक्रमों के प्रभाव की जांच करने के बजाय प्रणालीगत दोषों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन प्रक्रिया और ग्रामीण लोगों की आजीविका पर इसके प्रभाव की आलोचनात्म्क जांच करने की भी आवष्यकता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस अधिनियम की सफलता इसके उचित कार्यान्वयन पर निर्भर करती है और इस परिदृष्य में, इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।

संदर्भ–सूची

1. अमबेष्टा, पी, शंकर, पी.एस.वी और शाह, एम (2008), "Two years of MGNREGA: The road ahead", *Economic and Political Weekly*, February 2008.
2. द्रेज, जे (2007), "MGNREGA: Dismantling the contractor raj", The Hindu, 20th November, 2007.
3. माथुर, एल (2007), "Employment guarantee: Progress so far", *Economic and Political Weekly*, December 2007.
4. खेड़ा, आर (2008), "Empowerment Guarantee Act" *Economic and Political Weekly*, August 2008.
5. माथुर, एल (2009), "Silent but successful initiative",The Hindu, 1st March, 2009.
6. देय, एल और बेदी, एस(2010), "The National Rural Employment Guarantee Scheme in Birbhum", *Economic and Political Weekly*, XLV (41), 19-25.
7. रॉय, डी.एस और सामान्ता, डी(2010), "Good Governance and Employment Generation through NREGA: A case study of Gram Panchayat in West Bengal. Presented at Conference on
8. Infrastructure, Finance and Governance: Push for Growth, Organized by Ministry of Rural Development", GOI.
9. शाह, एम(2004), "National Rural Employment Guarantee Act: A Historic opportunity", *Economic and Political Weekly*, XXX (39), 5287-5291.
10. http://www.nrega.net
11. http://www.nrega.nic.in/guidelines
12. http://www.nrega.ac.in
13. http://www.gov.in
14. http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/23850985.cms?utm_source
15. मनरेगा समीक्षा 2012